पत्रावली कार्यवाही हेतु दि. 26.5.25
को पेश हो।

26.5.25 पत्रावली पेश। कमीशन कार्यवाही उप./वाद. कारिन्दा
[illegible] के रहदाखिल किया जाता है, विरुद्ध
नियमित पृथक से लिखा जाता है। प्रा. पत्रा.
किया जाता। पत्रावली मुकम्मल हुआ मी
जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 70 / 2022

तारीख दायरा 09.06.2022

बउनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भवंरलाल जाति धाकड,
2. चंपालाल पुत्र भवंरलाल जाति धाकड,
3. चौथमल पुत्र भवंरलाल जाति धाकड,
4. सूरजमल पुत्र भवंरलाल जाति धाकड,
5. बृजराज पुत्र भवंरलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा, सरपंच ग्राम पंचायत हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हींगी तहसील सांगोद।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री बाबूलाल अरविंद (वकील वादीगण)

---निर्णय---

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार है –

- वादीगण के सम्मलित खाते एवं कब्जे की ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद में अन्य खसरा नम्बरान की आराजीयात के साथ खसरा नं. 482 की 0.04 है. की आराजी स्थित है, जिस

Scanned with OKEN Scanner

पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने उक्त आराजी के पूर्वी तरफ पत्थरों कोट कर रखा है। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद में गंदे पानी की निकासी के लिये नाला खोदकर नाले का निर्माण करना चाहते है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादीगण के सम्मिलित खाते एवं कब्जे की आराजी ख.न. 482 से लगवा ख.न. 483 की रास्ते की आराजी के पूर्व में नाले की खुदाई का कार्य चालू कर रखा है। किन्तु ख.न. 505, 506, 507 के खातेदारान द्वारा इनके खाते की उक्त अराजी के पश्चिमी तरफ ख.न. 483 में जबरन कब्जा कर दीवार बना रखी है, इस लिए प्रतिवादीगण । व 2 जबरन वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी में रास्ते को क्रॉस कर जबरन वादीगण की आराची में नाला खोदकर नाले का निर्माण करना चाहते है।

- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत नहीं करे। उक्त आराजी में किसी प्रकार नाला खोदकर निर्माण कार्य नहीं करें तथा वादीगण को उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे।
- उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
- इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू 1 चौथमल नागर, पी.डब्ल्यू 2 सूरजमल नागर, पी.डब्ल्यू 3 चन्द्रप्रकाश, पी.डब्ल्यू 4 ओमप्रकाश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।
- इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रदर्श 1 वाद पत्र, प्रदर्श 2 माल ग्राम चतरपुरा की खाता सं. 123 नई, 131 पुरानी सवंत 2073–76 की प्रति, प्रदर्श 3 माल ग्राम चतरपुरा की ख.न. 483 का खसरा नक्शा की प्रति, प्रदर्श 4 माल ग्राम चतरपुरा की खाता सं. 1 सवंत 2073–76 की प्रति, माल ग्राम चतरपुरा की खाता सं. नया 150 पुराना 144

Scanned with OKEN Scanner

संवत 2073–75 की प्रति प्रदर्श कराए गए तथा वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

- हमारे द्वारा बहस वादीगण सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 मुख्य रूप से कृषि भूमि पर कब्जे से संबंधित विवादों और उस कब्जे में हस्तक्षेप को रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। इस धारा का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए वादी को निम्न तथ्यों को आवश्यक रूप से प्रदर्शित करना होगा –'

  1. वे या तो खातेदार हैं या अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किरायेदार हैं और उनके पास संबंधित भूमि पर कब्जे का वैध दावा है।
  2. वादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उनके कब्जे में हस्तक्षेप किया जा रहा है अथवा ऐसे हस्तक्षेप का खतरा है। यह प्रतिवादी को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगने का आधार है।

- हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र एवं विवादित आराजी की जामाबंदी व नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण ख.न. 482 के रेकार्डेड खातेदार हैं। परन्तु उक्त दस्तावेजात यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादीगण की खाते की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप, अतिक्रमण, कब्जा आदि किया गया हो। वादीगण द्वारा इस तथ्य के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्वतावेज अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि विवादित आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा हस्क्षेप, कब्जा, अतिक्रमण, निर्माण आदि कारित किया जा

Scanned with OKEN Scanner

रहा हैं। वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26-05-2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner